



बिहार के किसान आन्दोलन में सहजानंद सरस्वती की भूमिका

अंजली शर्मा

शोधार्थी इतिहास विभाग, ललित नारायण
मिथिला विश्वविद्यालय,
कामेश्वर नगर, दरभंगा।



प्रस्तावना :

बिहार में किसान आन्दोलन की एक समृद्ध परंपरा रही है। चम्पारण का सन-1917 का किसान आन्दोलन इसी की एक कड़ी थी। चम्पारण में उन दिनों 'तिनकठिया प्रथा' थी। इस प्रथा से स्थानीय किसान असंतुष्ट थे क्योंकि खाद्यान्न के संकट के साथ-साथ भूमि की उर्वरा शक्ति का भी इस प्रथा के कारण नाश हो रहा था।

किसान आन्दोलन एक हृदयहीन भूमि व्यवस्था के अन्तर्गत दलित एवं शोषित भारतीय किसानों की युगों से संचित दुख-गाथा का परिणाम था। भारतीय किसान एक विषम भूमि व्यवस्था की विभिन्न प्रकार की बुराईयों का मूल शिकार युगों से बना हुआ था तथा दुख दैन्य एवं निःसहायता की जिन्दगी बीता रहा था। बिहार में बहुमुखी शक्तियाँ भूखी जनता को भूखमरी से बचाने के लिए किसान आन्दोलन का उदभव हुआ। बिहार में 1922-23 में ही मुंगेर में शाह मुहमद ज्वेर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हो चुकी थी। 4 मार्च 1928 को पटना जिला अन्तर्गत बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक स्थापना के रूप में किसान आन्दोलन को एक अन्य मोड़ प्रदान किया। स्वामी सहजानंद यहाँ किसान आन्दोलन के मूल अनुप्रेरक बन गये और मरते दम तक यही उनके जीवन का मूल लक्ष्य बना रहा। नवम्बर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रान्तीय किसान सभा की स्थापना की गई। स्वामी सहजानंद उनके अध्यक्ष बने तथा श्री श्रीकृष्ण सिंह उसके सचिव, श्री यमुना कायर्थी, श्री गुरु सहाय लाल और कैलाश लाल उसके प्रमंडलीय सचिव थे। सरदार बल्लभभाई पटेल ने दिसम्बर 1929 में बिहार की यात्रा की। इससे इस आन्दोलन को विशेष बल मिला किसानों की शिकायतें व्यक्त करने हेतु सभाएँ की जाती और उनमें उन्हें दूर करने की उपायों पर विचार किया जाता। 1931 तक स्थिति और गंभीर हो गई।¹

30-31 मई, 1931 को जहानाबाद में एक राजनितिक सम्मेलन के तुरंत बाद एक किसान सभा का भी संगठन किया गया। कुछ जिलों में किसान आन्दोलन बहुत जोर पकड़ रहा था। 1933 के अप्रैल एवं 1935 के नवम्बर के बीच की अवधि में बिहार के 10 जिलों में लगभग 500 किसान सभाएँ आयोजित की गईं। 1937 के हाजीपुर में प्रांतीय किसान सम्मेलन के साथ-साथ इन जिलों में सैकड़ों छोटी-बड़ी किसान सभाएँ भी आयोजित हुईं। पटना में 88, गया में 38, मुंगेर में 57, शाहाबाद में 39, भागलपुर में 22, दरभंगा में 38, मुजफ्फपुर में 43, सारण में 19, पुर्णिया में 13, तथा चम्पारण में 2, किसान सभाओं को स्वामी जी ने संबोधित किया।² यद्यपि किसान सभा उस वक्त मुख्यतः धनी और मध्यम किसानों के उपरी हिस्से का ही प्रतिनिधित्व करती थी।³ किसानों के संगठन में वैज्ञानिक विचारों के प्रवेश और समावेश तथा राष्ट्रीय आन्दोल के साथ नाता जोड़ने से किसान आन्दोलन में एक उभार आने लगा।⁴

किसान आन्दोलन को समाजवादियों की ओर से भी बल मिला। बिहार समाजवादी पार्टी की

संघर्ष समिति ने 21 दिसम्बर, 1934 को एक सभा की और उसमें निर्णय किया कि "जनता को किसान सभाओं और श्रमिक संघों के झण्डे के नीचे एकत्र करना आवश्यक है, तभी उनकी शिकायते दूर करने के लिए सम्बद्ध आधिकारियों पर दबाव डाला जा सकेगा।" 5 संघर्ष समिति ने किसानों एवं मजदूरों के लिए तत्कालिक कार्यक्रम तैयार किया। जिसमें सहजानंद सरस्वती ने नागरिक स्वतंत्रता का मामला उठाया। 6 किसान सम्मेलन 1935 को स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लम्बे और प्रेरणाप्रद अध्यक्षीय भाषण में किसान संघ की आवश्यकता और महत्व पर बल दिया गया था। एवं इस आरोप का खण्डन किया गया था कि कांग्रेस से किसान आन्दोलन की प्रतिस्पर्धा थी। भाषण में कहा गया था कि अखिल भारतीय किसान संघ स्थापित करने का विचार यद्यपि अभिनन्दनीय था किन्तु, अभी उसका समय नहीं हुआ था, क्योंकि जबतक प्रान्तों में प्रशिक्षित कार्यकर्ता पूरी संख्या में नहीं हो जाते तब तक ऐसे संगठन के अवांछनीय एवं स्वार्थी लोगों के हाथों पड़ जाने का खतरा था। सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 7 जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि किसान सभा अबतक कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रही थी और उसकी शक्ति धीरे-धीरे बढ़ रही थी। वास्तव में किसान आन्दोलन ने अखिल भारतीय रूप ले लिया था। तथ बिहार सरस्वती सहजानंद के नेतृत्व में किसान संघर्ष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केन्द्र बना हुआ था। बिहार में किसान आन्दोलन की ओर सारे देश का ध्यान आकृष्ट हो रहा था।

बिहार में 17 अक्टूबर, 1937 को किसान दिवस फिर मनाया गया। और इसमें अनेक स्थानों पर सभाएँ की गईं। किसान आन्दोलन एक पृथक मार्ग पर चलने लगा था एक उग्र वामपन्थी मोर्चा के रूप में अक्सर इसके तरीके शान्तिपूर्ण नहीं होते थे। किसानों की भावनाएँ उनके नेताओं के उग्र भाषणों से अत्यधिक उत्तेजित हो चुकी थी तथा इस तरह की सलाह का उनपर कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर कि कुछ क्षेत्रों में किसान आन्दोलन के कारण स्थिति विस्फोटक हो रही थी। प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी में 14 दिसम्बर को निम्न प्रस्ताव स्वीकृत किया :-

"इस कमिटी की राय में प्रान्त में अराजकता का प्रचार किया जा रहा है। उससे वातावरण विषक्त हो गया है और कांग्रेस के अहिंसा के सिद्धांत पर आक्रमण हो रहा है। यह कांग्रेस के हितों के विरुद्ध है। प्रान्त के कुछ भागों में जिस तरह का वातावरण विकसित हो रहा है उससे देश को काफी नुकसान होने की आशंका है। जिससे स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर प्रगति की राह में उससे बाधा पड़ सकती है अतः यह कमिटी यह उचित और जरूरी समझती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता या इस आन्दोलन से संबंध रखने वाले लोग ऐसी कार्यवाइयों से अलग रहे। कांग्रेस के सामने इस तरह की काफी सामग्रियाँ हैं जिनसे साबित होता है कि किसान सभा के अनेक कार्यकर्ता ऐसी कार्यवाइयों में लगे हुए हैं तथा किसान सभा के तत्वाधान में होने वाली सार्वजनिक सभाओं में ऐसे वक्तव्य दिए जाते हैं जिनके परिणाम स्वरूप स्थिति बिगड़ती जा रही है और कांग्रेस के कार्य में बाधा पड़ने की संभावना है अतः यह कमिटी कांग्रेस के ऐसे सदस्यों को जो किसान सभा में काम करते हैं, यह सूचित करती है कि उनका किसान सभा तथा उनकी कार्यवाइयों से सम्पर्क रखना अनुचित है। यह कमिटी जिला कांग्रेस कमिटियों को आदेश देती है कि वे अपने कार्यकर्ताओं की कार्यवाइयों पर ध्यान रखें तथा प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी को उनकी रिपोर्ट भेजें।"

14 दिसम्बर, 1937 को बिहार प्रान्तीय किसान परिषद् की बैठक में कांग्रेस द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध को "सर्वथा अन्यायपूर्ण कहा गया।" बम्बई में कांग्रेस कार्यकारिणी की जनवरी, 1938 में बैठक हुई। उसमें बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के प्रस्ताव तथा उस पर किसान सभा की ओर से प्रस्तुत स्मरणपत्र पर विचार किया गया। कांग्रेस कार्यकारिणी ने " बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी द्वारा एवं कांग्रेस जनो की कार्यवाइयों को जो किसान सभा के सदस्य के रूप में हिंसा का वातावरण पैदा करने में सहयोग दे रहे थे, नापसंद किये जाने के कार्य का समर्थन किया।" 8 कांग्रेस किसानों का संगठन करने का किसान सभाओं का अधिकार स्वीकार करती है। किन्तु वह ऐसे कार्यों का साथ नहीं दे सकती जो कांग्रेस के मूलभूत सिद्धांतों के प्रतिकूल हों और उन कांग्रेस कर्मियों की जो किसान सभा के सदस्य के रूप में कांग्रेस के सिद्धांतों एवं नीति का विरोधी वातावरण पैदा करने में सहायता प्रदान करते हैं कार्यवाइयों का सहन नहीं करेगी। इसलिए कांग्रेस प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी

के बातों को ध्यान में रखकर एवं जो कार्यवाई आवश्यक हो उसे करने को आगाह करती है।

स्वामी सहजानंद ने कई स्थानों पर कुछ किसान सभाएँ स्थापित की। अध्यक्ष पद से बोलते हुए स्वामी सहजानंद ने किसान सभा का स्वतंत्र संगठन बनाने पर जोर दिया। सहजानंद ने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक था। बिना आर्थिक स्वतंत्रता के केवल राजनैतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं था। स्वामी सहजानंद का उद्देश्य था कि किसान आन्दोलन के लिए लोगो से आग्रह करना बिहार के कुछ अन्य भागो मे किसान आन्दोलन बढ़ रहा था। 8 अगस्त, 1938 को जिला मुख्यालयों में स्वामी सहजानंद के परामर्श पर किसानों के प्रदर्शन कराए गए।

अप्रैल, 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में जमींदारी प्रथा समाप्त करने की मांग की गई। एक अन्य प्रस्ताव में किसान के संबंध में बिहार मंत्रीमण्डल की नीति की आलोचना की गई तथा मंत्रीमण्डल से मांग की गई "कांग्रेस-जमींदार समझौता को तुरंत समाप्त किया जाए तथा जमींदारों के अत्याचार एवं ज्यादती को मंत्रीमण्डल समाप्त करे और यह कि कांग्रेस मंत्रीमण्डल बकाशत समस्याओं का समाधान करने हेतु अविलम्ब कदम उठावे तथा फैजपुर कांग्रेस के कृषि कार्यक्रम और अपने चुनाव घोषणा-पत्र के अनुबन्धों का कार्यान्वयन करें।⁹

निष्कर्षतः इस आन्दोलनो में जमींदारों द्वारा अवैध और ऊँची लगान दरों के रूप में किये जाने वाले उत्पीड़न का विरोध किया गया। जमींदारों द्वारा कृषि भूमि से किसानों की जबरन बेदखली का भी विरोध किया गया और साथ ही उन्होंने अपने लिए भूमि पर अधिकार के लिए एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित करने की मांग की। एकतरफा मुक्त व्यापार जैसी औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों का भी इन आन्दोलन में विरोध किया गया।

संदर्भ:-

1. आरनोल्ड, जे0 टायनवीन, सर्वे ऑफ नेशनल अफेयर्स, 1931, पृ0 403
2. राकेश गुप्ता, बिहार पीजेन्ट्री एण्ड द किसान सभा, नई दिल्ली, 1982, पृ0 96
3. किशोरी प्रसन्न सिंह, राह की खोज में, अन्वेषा प्रकाशन, पटना, 2003, पृ0 163
4. स्वामी सहजानंद : किसान सभा के मेरे संस्मरण और मेरा जीवन संघर्ष
5. द इंडियन ऐनुअल रजिस्टर, 1934, खंड-2, पृ0 144
6. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, 5 जून 1938
7. स्वामी सहजानंद " मेरे जीवन का संघर्ष" पृ0 448
8. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुख्य सचिव की रिपोर्ट, जनवरी, 1937 फरवरी, 1932, पृ0 31-32
9. द ऐनुअल रजिस्टर, खंड-1, पृ0 411